दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

छपरीगंज में सट्टा-पट्टी लिखते युवक को खरसिया पुलिस ने पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी खरसिया में पदस्थ प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन व हमराह आरक्षक किर्ती सिदार, डमरू पटेल द्वारा दिनांक 24.06.19 के शाम करीब 17.00 बजे मुखबिर सूचना पर छपरीगंज खरसिया में मुकेश अग्रवाल पिता स्व0 किशोरीलाल उम्र 40 साल साकिन छपरीगंज खरसिया को सट्टा खेलाते रंगे हाथो पकडे। आरोपी के पास से सट्टा पट्टी अंक लिखा 04 पन्ना, नगदी रकम 7750/रू. तथा 01 नग डाट पेन जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना खरसिया में अप.क्र. 278/19 धारा 4(क) सट्टा एक्ट की कार्यवाही की गई है।

जितेन्द्र सिदार की सड़क दुर्घटना में मृत्यु

न्याय साक्षी/रायगढ़।तहसील पुसौर के ग्राम बुनगा निवासी जितेन्द्र सिदार की 29 मई 2018 को सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। एसडीएम रायगढ़ द्वारा तहसीलदार पुसौर की अनुशंसा पर मृतक की पत्नी संतोषी सिदार को 25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

डीलर एवं वाहन स्वामी 20 जुलाई तक वाहनों के पंजीयन के संबंध में नस्ती प्रस्तुत करें

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में वाहनों से संबंधित कार्य पूर्व में वाहन 2.0 के माध्यम से किया जाता था, जो कि एक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर था। वर्तमान में उक्त कार्य वाहन 4.0 के माध्यम से किया जा रहा है, जो पूर्णतः ऑनलाईन सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार परिवहन कार्यालयों में वाहन 4.0 प्रारंभ होने से पूर्व वाहन 2.0 में आवेदकों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात वाहन का पंजीयन चिन्ह डीलर द्वारा जनरेट किया जा चुका है, परंतु वाहन 4.0 पंजीयन चिन्ह की सीरिज निरंतर क्रम में आगे बढ़ चुकी है। उपरोक्त वाहनों के पंजीयन वाहन 4.0 में बैकलाग किए जाने हेतु राज्य के समस्त परिवहन कार्यालय में 31 जुलाई 2019 तक समय-सीमा निर्धारित की गई है। परिवहन अधिकारी ने जिले के समस्त डीलर एवं वाहन स्वामी को 20 जुलाई तक परिवहन कार्यालय रायगढ़ में नस्ती प्रस्तुत करने हेतु कहा है।

पुलिस अधीक्षक ने ली ऑटो चालक संघ की समीक्षा बैठक

आटो चालकों के लिए परिवहन संबंधी दिये दिशा निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व स्कूली बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय में संचालित समस्त ऑटो चालक जो स्कूली बच्चों को स्कूल लाते ले जाते हैं उन्हें क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों का परिवहन ना करने एवं पूर्णतः प्रतिबंधित करने संबंधी निर्देश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया परिपालन में आज दिनांक को जिला मुख्यालय में संचालित ऑटो के चालको एवं ऑटो संघ के पदाधिकारियों का राजकुमार मिंज उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा थाना यातायात परिसर में समीक्षा बैठक आहूत कर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि- स्कूली बच्चों का क्षमता से अधिक परिवहन ना करें, सभी ऑटो वाहन में सुरक्षा जाली अनिवार्यतः लगावे, वाहनों के संपूर्ण दस्तावेज दुरुस्त रखें।

ऑटो चालकों एवं ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों द्वारा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किए जाने आश्वासन दिया गया है तथा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया गया है।

समीक्षा बैठक में जिला परिवहन अधिकारी, थाना प्रभारी यातायात एवं ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डीएसपी यातायात रायगढ़ द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पालकों से विनम्र अपील की गई की ऐसे ऑटो वाहन जो क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन करते हैं उन ऑटो मे

अपने बच्चों को भेजने हेतु प्रेरित ना करें।

आंगन में खड़ी बोलेरो की चोरी, रिपोर्ट दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना बरमकेला में दिनांक 24.06.19 को गोकुल साहू पिता पदुमलाल साहू निवासी ग्राम बोईरडीह पो0 बरमकेला द्वारा दिनांक 23-24.06.2019 की रात्रि आंगन में खड़ी इसकी बोलेरो प्लस मॉडल 2007, रजिस्टेशन नम्बर सीजी-04 एचए 1046 को कोई अज्ञात आरोपी चोरी कर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 94/19 धारा 379 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

निपाह वायरस के लक्षण एवं बचाव के संबंध में दी गई जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। स्वास्थ्य विभाग ने निपाह वायरस पर जनसामान्य को अलर्ट जारी किया है। निपाह वायरस एक प्रकार का जूनोटिक बीमारी है जो कि सामान्यतः चमगादड़, कुत्ते, सूअर तथा घोड़े व अन्य जानवरों में संक्रमण होता है। यह बीमारी संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से मनुष्यों को भी प्रभावित करता है एवं गंभीर बीमारी होती है। खतरनाक वायरस निपाह' तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। इसका कोई ईलाज नहीं है और मरीज 24 घंटे के अंदर कोमा' में चला जाता है। संक्रमित सुअरों व चमगादड़ों के स्त्राव अथवा उनके द्वारा खाए गए या गिरे फलों के सेवन, संपर्क में आने से संक्रमण की संभावना होती है। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क, उनके उपचार के दौरान सुरक्षा उपायों के उपयोग नहीं करने की स्थिति में भी संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमण काल 6 से 21 दिन होती है। प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण की जानकारी भी ली जानी चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केसरी ने लोगों को निपाह वायरस से बचाव के लिए सतर्कता बरतने एवं प्रारंभिक उपचार के बारे में जानकारी दी।

सामान्य लक्षण- निपाह वायरस के संक्रमण अन्य वायरल दिमागी बुखार के लक्षण सहित, खांसी तथा सांस में तकलीफ हो सकता है। बुखार के साथ मानसिक बदलाव अथवा झटके, श्वसन तंत्र का संक्रमण, खांसी आना तथा सांस में तकलीफ, सिरदर्द, बदनदर्द, थकावट, निमोनिया के लक्षण, दस्त व उल्टी भी हो सकती है।

संदेहास्पद मरीज- ज्वर के साथ मानसिक स्थिति में परिवर्तन, ज्वर के साथ सिरदर्द, ज्वर के साथ खांसी आना तथा सांस में तकलीफ, संदेहास्पद लक्षणों के साथ निपाह पॉजीटिव के निकट निवास क्षेत्र से संबंधित चिकित्सकीय लक्षण के आधार पर संदेहास्पद मरीज की मृत्यु हुई हो एवं निपाह पॉजीटिव मरीज से संबंधित हो।

बचाव के उपाय- स्वास्थ्य विभाग के महामारी नियंत्रण इकाई के नोडल अधिकारी डॉ. टी.के.टोण्डर एवं एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. कल्याणी पटेल ने अपील की है कि निपाह वायरस के लक्षण, बचाव व उपचार की जानकारी रहने से एवं सावधानी रखने से काफी हद तक इससे बचा जा सकता है। सुअरों से दूर रहें। ऐसे फल न खाएं जिन्हें पक्षियों ने काटा हो। फलों को बहुत सावधानी से खरीदें, बाहर खुले में मिलने वाले जूस का सेवन न करें। कच्चे खजूर का सेवन नहीं करें। चमगादड़ों के आवास के आसपास न जाएं। कोई भी यात्रा अति आवश्यक हो तभी करें तथा साबुन से हाथ धोने, फलों को धो कर खाना, लम्बे समय से उपयोग नहीं किये गये कुओं में उतरने से बचें।

ग्राम गुरदा में महिला समूह ने पकड़ा अवैध कच्ची महुआ शराब

खरसिया थाने में आरोपिया के विरूद्ध आबकारी एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया में ग्राम गुरदा महिला समूह द्वारा गांव में शराब बंदी दौरान एक महिला को अपने कब्जे में रखकर अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करते हुये पकडने की सूचना दिये। सूचना पर खरसिया पुलिस ग्राम गुरदा रवाना हुई, जहां महिला समूह के सदस्यों ने कु0 दरश बरेठ पिता तीजराम बरेठ उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गुरदा को पकड रखा था। पुलिस द्वारा आरोपिया से शराब रखने/बिक्री करने के संबंध में जांच किया गया व आरोपिया के पास से 10 लिटर क्षमता वाली जरिकेन में करीब 6.5 लिटर महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपिया के विरूद्ध थाना खरसिया में अप.क्र. 276/19 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

मत्स्य कृषकों को किया गया स्पान का वितरण

न्याय साक्षी/रायगढ़। मत्स्य विभाग के अंतर्गत मत्स्य बीज प्रक्षेत्र छिंद में 21 जून को ब्रीडिंग सेट लगाया गया था। जिसमें 25 जून को 71 लाख स्पान निजी मत्स्य कृषकों को विक्रय किया गया है एवं 26 लाख स्पान को प्रक्षेत्र में संचयन किया गया है। मत्स्य अधिकारी ने बताया कि रायगढ़ जिले के दोनों शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों छिंद एवं चांदमारी में मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य कृषकों को वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तयामत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सैद्धान्तिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

CAREER HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

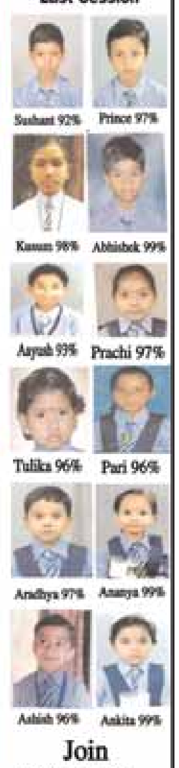

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Techers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं.
9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480